न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 07/2022

1 श्रीराम पुत्र कुरड़ाराम जाति माली निवासी नवोड़ा कुआ तन ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट्स

बनाम

1 बंशीधर पुत्र कुरड़ाराम
2 जगदीश पुत्र कुरड़ाराम
3 मथरी पुत्री कुरड़ाराम
4 संतोष पुत्री कुरड़ाराम
5 सावित्री पुत्री कुरड़ाराम
6 भूमि धारक राजस्थान सरकार तहसीलदार बुहाना
7 उप पंजीयक उप तहसील सिंघाना तहसील बुहाना।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.11.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी
प्रकरण बंशीधर आदि बनाम श्रीराम आदि
प्रकरण संख्या 04/2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (झुंझुनूं)
सत्यमेव जयते

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 27.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वाके ग्राम ढाणा सिंघाना उप तहसील सिंघाना भूमि हाल खसरा नम्बर 226 जमाबंदी संवत 2075 से 78 में वर्णित खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.62 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.0300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.5100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1184 रकबा 0.3800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.0500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.4700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1191 रकबा 1.1000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1192 रकबा 0.1500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1193 रकबा 0.300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1198 रकबा 1.5400 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

6.0100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1609/860 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 16/0/860 रकबा 0.7300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 851 रकबा 0.2900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 858 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3400 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.19 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.400 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.600 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.600 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.8500 कुल किता 1 कुल रकबा 0.8500 हैक्टेयर है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बरान में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 व अपीलांट दावे के पक्षकार प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 अपनी अपनी भूमि कब्जा काश्त है रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 5 ने दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का एसडीओ कोर्ट बुहाना में प्रस्तुत कर रखा है रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र कि धारा 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है प्रतिवादीगण से पारस्परिक सहमति से विभाजन कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है लेकिन विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 व अपीलांट भाई बहन है रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 अपीलांट कि जबरन मुकदमें बाजी कर जमीन हड़पना चाहते है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 बंशीधर व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 जगदीश शातिर व बदमाश प्रवृति के लोग है अपीलांट के साथ पहले भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसका पुत्र ने कई बार अपीलांट की भूमि हड़पने की कोशिश की है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 बंशीधर चालाक व होशियार व्यक्ति है अपीलांट की भूमि हड़पने के लिए अपीलांट की पत्नी व पुत्र के साथ कई बार मारपीट कर चूका है। जिसकी पहले एफआईआर भी कि जा चुकी है जिसके एफआईआर नम्बर 246/2016 पुलिस थाना सिंघाना जिसमें रेस्पोडेन्ट व उसके पुत्र सुभाष के खिलाफ चालान भी हुआ है जिसकी फोटो प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टगण अपीलांट को परेशान करने की नियत से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो गलत है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रिटायर्ड सरकारी अध्यापक है जो बहुत ही चालाक व होशियार व्यक्ति है जो चालाकी से अपीलांट की भूमि को हड़पना चाहता है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट जमीन जैर बहस के रिकार्डेड खातेदार है एक सहखातेदार को उसके हक हिस्से के उपयोग उपभोग में लेने व स्थानांतरित करने से वंचित नहीं किया जा सकता सहखातेदार बिना विधिवत विभाजन के अपना हक हिस्सा व उसका कुछ भाग को बेचान दूसरे सहखातेदार की सहमति के बिना हस्तांतरित कर सकता है लेकिन अपीलांट अपने हक हिस्से को बेचना नहीं चाहते है। संयुक्त खातेदारी की भूमि पर किसी एक पक्षकार द्वारा दुसरे सहखातेदार के विरूद्ध टी.आई प्राप्त नहीं कर सकता। बल्कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 व दावे के अन्य पक्षकार अपीलांट की भूमि पर जबरन कब्जा कर अन्य भूमाफिया व्यक्तियों को जमीन बेचना चाहते है। रेस्पोडेन्टगण विचारण न्यायालय के आदेश की आड़ में अपीलांट को परेशान कर भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है विचारण न्यायालय ने पईलंत द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजो पर गौर न कर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अवैध व शून्य होने से खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण/वादीगण का हिस्सा होना विवादित नहीं है। इस संबंध में यह भी प्रकट नहीं होता कि वादग्रस्त आराजी में मात्र संयुक्त खातेदार होने से उनका विशिष्ट भू–भाग पर हक अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने बाहमी बंटवारे के समझोते के संबंध में कोई साक्ष्य/सबुत पेश नहीं किये गये है। इसके अलावा बाहमी बंटवारा हुआ है या नहीं यह प्रकरण के गुणावगुण एंव साक्ष्य/सबूत पर निर्भर करता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज होना पाया जाता है। ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने बिना विभाजन कराये वादग्रस्त आराजी के संदर्भ विचाराधीन आदेश से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण/वादीगण का हिस्सा होना विवादित नहीं है। इस संबंध में यह भी प्रकट नहीं होता कि वादग्रस्त आराजी में मात्र संयुक्त खातेदार होने से उनका विशिष्ट भू–भाग पर हक अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने बाहमी बंटवारे के समझोते के संबंध में कोई साक्ष्य/सबुत पेश नहीं किये गये है। इसके अलावा बाहमी बंटवारा हुआ है या नहीं यह प्रकरण के गुणावगुण एंव साक्ष्य/सबूत पर निर्भर करता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज होना पाया जाता है। ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय ने बिना विभाजन कराये वादग्रस्त आराजी के संदर्भ विचाराधीन आदेश से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)